

कार्यालय आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ25(06)सा.प./ 2013/ 205

दिनांक 24.2.21

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर
समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जिला झुंझुनू,
सीकर, दौसा, अलवर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक

विषय : अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना हेतु आयोजित कैम्प बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के निस्तारण की धीमी प्रगति देखते हुये तथा वर्षों तक आक्षेपानुसार कोई कार्यवाही नहीं किये जाने को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है तथा विभागीय स्तरीय ऑडिट समिति की बैठक में इस सम्बन्ध में विशेष निर्देश जारी किये गये हैं। अतः उक्त के क्रम में संलग्न सूची अनुसार ऑडिट कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं जिसमें महालेखाकार तथा निरीक्षण विभाग के प्रतिनिधि का भी उपस्थित होना अपेक्षित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (महालेखाकार, निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच, भौतिक सत्यापन एवं विशेष जांच प्रतिवेदन) के बकाया आक्षेपों की पूर्ण पालना कर नवीनतम अनुपालना दो प्रतियों में मय समर्थित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं लेखाकर्मी संलग्न कार्यक्रम के अनुसार आयुक्तालय में प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करावें। उक्त कैम्प में अपूर्ण एवं सारहीन अनुपालना स्वीकार नहीं की जावेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा।

संलग्न :-

1. निर्धारित कार्यक्रम
2. निर्धारित प्रारूप

(संदेश नायक)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षाराजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ25(06)सा.प./ 2013/


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आयोजित कैम्प में अपना प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करें।
2. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आयोजित उक्त कैम्प में अपना प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करें।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
4. लेखाधिकारी (अंकेक्षण) कैम्प प्रभारी रहेंगी तथा महालेखाकार व निरीक्षण विभाग के आक्षेपों का नियंत्रण रजिस्टर भी संधारित करावें।
5. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

कार्यक्रम (Programme)

क्र.सं.	दिनांक	महाविद्यालय का नाम
1	09.03.2021	झुंझुनू (राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू, कन्या झुंझुनू, खेतडी) सीकर (राजकीय महाविद्यालय कला सीकर, कन्या नीमकाथाना, नीमकाथाना, विज्ञान सीकर, कॉमर्स सीकर, रामगढ-शेखावाटी, कन्या सीकर)
2	10.03.2021	दौसा (राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बांदीकुई, सिकराय, कन्या लालसोट, पीजी दौसा, कला दौसा, कन्या दौसा, महुआ)
3	12.03.2021	अलवर (राजकीय महाविद्यालय थानागाजी, कामर्स अलवर, बहरोड, बीबीरानी राजर्षि अलवर, गौरीदेवी कन्या अलवर, कला अलवर, राजगढ)
4	15.03.2021	नागौर (डिडवाना, जायल, नागौर, मेडतासिटी, कन्या नागौर)
5	16.03.2021	भीलवाडा (राजकीय महाविद्यालय आसीन्द, माण्डलगढ, कन्या भीलवाडा, विधि भीलवाडा, रायपुर, एम.एल.वी. भीलवाडा, शाहपुरा)
6	17.03.2021	टोंक (राजकीय महाविद्यालय देवली, मालपुरा, टोंक, उनियारा, कन्या टोंक)
7	18.03.2021	सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, अजमेर।


वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

निरीक्षण / महालेखाकार विभाग के जाँच प्रतिवेदन संख्या (वर्ष से) की
अनुपालना विषयक सूचना

क्र. सं.	आक्षेप संख्या	आक्षेप का विवरण	महाविद्यालय /अनुभाग की अनुपालना	आयुक्तालय की रिपण्णी	निरीक्षण / महालेखाकार विभाग की रिपण्णी